

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला - टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

निर्णय दिनांक :- 19.03.2021

संख्या:- 420/2019

प्रार्थना पत्र :

नानूलाल पुत्र श्री मूला जाति जाट उम्र 65 वर्ष निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

-वादी -

बनाम

1. नगरपालिका देवली जिला टोंक (राज.)
2. तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

- प्रतिवादीगण -

उपस्थिति :-

श्री सत्यनारायण धाकड़  
अधिवक्ता प्रार्थी

श्री प्रदीप कुमार  
अप्रार्थी संख्या 1  
पेरोकार सरकार

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए.

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे-काशत की आराजीयात खाता नम्बर 625 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 1374 रकबा 0.51 है, कुल किता 1 रकबा 0.51 है, वाके तनग्राम देवलीगांव पटवार हल्का देवली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। आराजी खसरा नम्बर 1373 रकबा 0.37 है, नम्बर 1369 रकबा 0.06 है, खसरा नम्बर 1370 रकबा 0.05 है, वाके तनग्राम देवलीगांव पटवार हल्का देवली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त भूमि पूर्व में राजस्व रिकार्ड में राजकीय सिवायचक भूमि के रूप में दर्ज थी। जो पेराफेरी कन्ट्रोल बेल्ट के तहत उक्त भूमि आने के कारण वर्तमान में उक्त भूमि के नगरपालिका देवली के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दी है। प्रार्थी अपने पूर्वजों के समय से ही पेरा नं. 2 में भूमि में बने हुए कदीमी रास्ते से आता-जाता रहा है तथा काशतकारी कार्य करता रहा है जो आज भी मौके पर काबिल-काशत नहीं है और रास्ते के रूप में उपयोग-उपभोग हो रहा है। प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि पर आने जाने वाला रास्ता उक्त कदीमी रास्ते में कांटों की बाड़ लगाकर व अन्य कृषि के सामानों को डालकर रास्ते को अवरुद्ध कर दिया है। प्रार्थी को उसकी खातेदारी की भूमि में आने-जाने व काशतकारी कार्य करने हेतु विधिवत् रूप से रास्ता नहीं होने के कारण प्रार्थी काफी परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। इस कारण प्रार्थी को उक्त भूमि में

10/2/21

रास्ता दिलवाना आवश्यक है। यदि प्रार्थी को उक्त भूमि में से रास्ता नहीं दिलवाया गया प्रार्थी अपनी काशत में काशत नहीं कर पायेगा तथा प्रार्थी व इनके परिवारजन भूखे मर जायेंगे। अप्रार्थी नं. 2 लेण्ड हॉल्डर होने के कारण प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी रास्ते की नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाने के लिए तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थी को अपनी भूमि में आने -जाने उपयोग -उपभोग करने हेतु प्रार्थना पत्र में वर्णित पेरा नं. 2 में वर्णित भूमि में से लगभग 20 फिट चौड़ा रास्ता नियमानुसार रास्ता दिलवाने के आदेश फरमावे तथा राजस्व रिकार्ड में रास्ते का इन्द्राज किये जाने की आज्ञा फरमावे।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका देवली ने जवाब पेश किया जो इस प्रकार है:- प्रार्थना पत्र का चरण नं. 1 जिस तरह अंकित किया गया है, स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 2 जिस तरह अंकित किया गया है, स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 3 जिस तरह अंकित किया गया है, गलत है अस्वीकार है। वास्तविकता यह है कि उक्त आराजीयात खसरा सं. 1373 रकबा 0.37 है 0 खसरा नम्बर 1369 रकबा 0.06 है 0 खसरा नम्बर 1370 रकबा 0.05 है 0 नगर पालिका देवली के नाम दर्ज है। उक्त भूमि में से पूर्व में या वर्तमान में आम रास्ता नहीं है। यदि प्रार्थी रास्ते की मांग करता है तो यह अस्वीकार्य है क्योंकि राजस्थान टेनेन्सी एक्ट धारा 251 ए पालिका क्षेत्र पर प्रभावी नहीं होती है। नगर पालिका देवली क्षेत्र एवं नगर पालिका पेराफेरी क्षेत्र में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम लागू हैं इस अधिनियम के नियमों के तहत ही कोई कार्यवाही की जा सकती है। राजस्थान नगर पालिका भूमि निष्पादन नियम 1974 के तहत ही कोई कार्यवाही की जा सकती है। इसके अतिरिक्त पालिका क्षेत्र की कृषि भूमि को खातेदार धारा 90 ए के तहत पालिका के नाम सरेंडर करवाकर उस कृषि भूमि का भू उपयोग परिवर्तन राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के नियमों के तहत करवा सकता है। भू उपयोग परिवर्तन के बाद ही नगर पालिका इस विषय में कोई कार्यवाही कर सकती है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 4 जिस तरह अंकित किया गया है, गलत है, स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थी नं. 1 की भूमि में से 20 फिट चौड़े रास्ते की मांग की गई है वे न्यायोचित नहीं है क्योंकि नगर पालिका देवली क्षेत्र एवं नगर पालिका पेराफेरी क्षेत्र में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम लागू है। इस अधिनियम के नियमों के तहत ही प्रार्थीगण पालिका में आवेदन कर सकते हैं। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 6 जिस तरह अंकित है, स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 6 जिस तरह अंकित किया गया है, गलत है, स्वीकार नहीं है। वर्तमान में उक्त आराजीयात पर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम लागू होने के कारण श्रीमान का श्रवणाधिकार नहीं है इसलिए वाद खारिज प्रतिवादी नं. 1 का स्वामीत्व एवं कब्जा है। उक्त आराजीयात पर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम लागू है। इस अधिनियम के नियमों के तहत ही प्रार्थीगण पालिका में आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नगर पालिका भूमि निष्पादन के लिए राजस्थान नगर पालिका भूमि अधिनियम के तहत ही कोई कार्यवाही की जा सकती है। जिसमें पालिका क्षेत्र की

भूमि को खातेदार धारा 90 ए के तहत पालिका के नाम सरेंडर करवाके उस कृषि भूमि मू उपयोग परिवर्तन राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के नियमों के तहत करवा सकता मू उपयोग परिवर्तन के बाद ही नगर पालिका इस विषय में कोई कार्यवाही कर सकती प्रार्थी के द्वारा नगर पालिका देवली को बिना सूचित करें बिना नोटिस दिये पालिका के विरुद्ध श्रीमान के न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर दिया गया है जो कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 304 के विरुद्ध है। उक्त धारा में स्पष्ट उलेख है कि बिना नगर पालिका को सूचित किये विधि मान्य नोटिस दिये पालिका के विरुद्ध कोई वाद दायर नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी का प्रार्थन पत्र मय हर्जे खर्चे सहित प्रार्थी को पाबन्द करते हुए खारिज फरमाया जावे। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तग्रत धारा 251 ए नगर पालिका अधिनियम पर प्रभावी नहीं होने से जवाब दावा अप्रार्थी नं. 1 की तरफ से प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे सहित प्रार्थी को पाबन्द करते हुए खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार देवली द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो इस प्रकार है:-प्रार्थी का आराजी तक पहुंचने के लिये अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई, चौड़ाई व क्षेत्रफल वर्गमीटर में निम्न प्रकार है- ख0न0 1369 में लम्बाई 50 मी. चौड़ाई 6 मी. क्षेत्रफल 300 मीटर ख0न0 1370 में लम्बाई 56 मी. चौड़ाई 6 मी. क्षेत्रफल 336 वर्ग मी. ख0न0 1373 में लम्बाई 20 मी. चौड़ाई 6 मी. क्षेत्रफल 120 वर्ग मी. कुल किता 3 कुल लम्बाई 126 मी. चौड़ाई 6 मी. कुल क्षेत्रफल 756 वर्ग मी. नोट:- सभी ख0न0 नगरपालिका के नाम दर्ज है। प्रस्तावित रास्ते की डीएलसी दर 8919 रु प्रति एयर से 756 वर्गमीटर X 89.19 =67427.67 रूपये बनते है की दुगुनी राशि 134855.28/- अक्षरे एक लाख चौतीस हजार आठ सौ पचपन रूपये अठाइस पैसे बनते है। मौके पर भूमि सिंचित व रोड़ से नजदीक है। प्रार्थी की आराजी खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी जिस ख0न0 में से रास्ता चाहता है उस रास्ते को लाल स्याही से चिन्हित कर नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई सरंचना निर्माण पेड पौधे नहीं है। अप्रार्थी उक्त वांछित रास्ता नगरपालिका देवली के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। अतः अधोहस्ताक्षरकर्ता क्षरा जाँच कर अग्रिम कार्यवाही हेतु मौका रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में पेश है। सलंगन:-भू0अ0नि0 रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस दो प्रति जमाबंदी ।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार देवली की रिपोर्ट में भी प्रार्थी की आवश्यकता आत्यन्तिक व अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होना बताया है। अतः तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार रास्ता प्रदान करने हेतु आदेश प्रदान करे।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में जवाब को ही बहस मानने की प्रार्थना

की।

10.2.24

जिला	
सम्बन्ध	
अंतरण के प्रकार सहित अ प्रमाणित नामन्तरक के आदेश की संख्या तथा दिनांक	11
3	
3	
7	
3	

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थी जिन नम्बरो से रास्ता चाहता है वो खसरा नम्बर वर्तमान में नगरपालिका देवली के नाम रिकॉर्ड है। धारा 251 ए नगर पालिका क्षेत्र पर प्रभावी नहीं होती है। नगर पालिका फेरी क्षेत्र में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम लागू है। यदि प्रार्थी को रास्ता चाहिए तो नगर पालिका देवली में नगर पालिका भूमि निष्पादन नियम 1974 के अन्तर्गत आवेदन कर सकता है। वैसे भी नगर पालिका नियमों के अनुसार नगरपालिका को सूचित किये बिना न्यायालय में किसी भी प्रकार का प्रार्थना पत्र/वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थी जिन खसरा नम्बर 1373 रकबा 0.37 है, नम्बर 1369 रकबा 0.06 है, खसरा नम्बर 1370 रकबा 0.05 है वाके तनग्राम देवलीगांव में से रास्ता चाहता है जो वर्तमान में नगरपालिका क्षेत्र देवली में अवस्थित है, प्रार्थी द्वारा जिन खसरा नम्बरो में होकर रास्ता चाहा गया है, वो सभी खसरा नम्बरान वर्तमान जमाबन्दी में नगरपालिका देवली के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। नगर पालिका देवली क्षेत्र में मास्टर प्लान लागू है। नगरपालिका द्वारा स्वयं के नाम दर्ज भूमि को कृषि कार्य हेतु उपयोग में नहीं लिया जाता है वरन मास्टर प्लान अनुसार उपयोग में लिया जाता है। यह प्रार्थना पत्र धारा 251 क राजस्थान काश्तकार अधिनियम की मूल भावना के अनुरूप न होने के कारण खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
देवली